संख्या-6/एफ1-306/2018 श्र०सं०-

बिहार सरकार,

<u>श्रम संसाधन विभाग</u>

प्रेषक

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी संबंधित निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी (श्रम पक्ष)

पटना, दिनांक-

विषयः- ***स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये आवंटनादेश के संबंध में।***

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरूद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नही रहने के कारण CFMS Software से निर्गत किये गये सभी आवंटनादेश से आवंटित की गयी राशि की निकासी करने हेतु एक व्यापक दिशार्निदेश की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी निर्गत किये गये सभी आवंटनादेश में निम्नांकित बातों का अनपालन सुनिश्चित किया जाय-

➢ ***<u>स्थापना एवं प्रतिबद्ध</u> व्यय के तहत आवंटित किये गये राशि निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेंगी-***

1. योग वेतन एवं जीवनयापन भत्ता में आवंटित राशि से वेतन विपत्रों की निकासी की जायेगी ।
2. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा, तथा इसकी सारी जिम्मेवारी आप पर होगी ।
3 आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
4. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
5. सभी आवंटनादेश स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है ।

➢ ***<u>राज्य योजना</u> व्यय के तहत आवंटित किये गये राशि निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेंगी-***

1. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति मे अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा, तथा इसकी सारी जिम्मेवारी आप पर होगी ।
2 आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
3. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ इस विभाग को विहित प्रपत्र में निकासी के अगले माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

4. सभी आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

5. **CFMS Order No.- 1693 dated- 19-06-18** जो, उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण विपत्र कोड-26-2230011030103 के अन्तर्गत भाड़े की गाड़ी का भुगतान एवं कार्यालय व्यय से संबंधित है, में सभी संयुक्त श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त भााड़े पर रखे संविदा वाहन का उपयोग कैम्प कार्यालयों के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार के प्रमण्डल अथवा जिले के कार्यालयों में बाल श्रम से संबंधित अर्द्धन्यायिक कार्यो का निष्पादन तथा पर्यवेक्षण एवं कार्यालय उपयोग हेतु करेगें ।

इसके अतिरिक्त सभी 38 जिलों में माह के प्रत्येक कार्यदिवस हेतु जिला स्तर पर गठित धावा दल के सघन निरीक्षण एवं बाल श्रमिकों के विमुक्ति के लिए, सभी जिले के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रति जिला एक वाहन हेतु राशि आवंटित की गयी है।

सभी संविदा वाहन हेतु प्रति कार्यालय X 1200/-प्रतिदिन X 26 दिन (अधिकतम रू. 31,200/- मासिक) की दर पर नियमानुसार निविदा प्राप्त कर वाहन की व्यवस्था हेतु राशि का आवंटन किया गया है।

वाहन का उपभोग करने वाले सभी पदाधिकारी एक लॉग बुक का संधारण करेगें तथा वाहन का उपयोग किस कार्य के लिए हुआ है इस लॉग बुक में प्रतिदिन अंकित करेगें। इस लॉग बुक के आधार पर ही वाहन पर व्यय हुए राशि का उपयोगिता मासिक रूप से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें तथा वाहन का उपभोग अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही करेगें ।

इसी आवंटनादेश में श्रमायुक्त के सचिव को कार्यालय व्यय से आवंटित की गयी राशि बाल श्रमिक कोषांग के लिए है।

6. **CFMS Order No.- 1691 एवं 1695 both dated- 19-06-18** जो, उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन विपत्र कोड-26-2230011030101 एवं 26-2230017890101 से संबंधित है, में Object Head 20-02-conference, workshop, Seminar एवं Object Head 20-03-training Expenditure के अन्तर्गत दोनों उपशीर्षो में आवंटित की गयी राशि ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन योजना के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हेतु है।

इस शिविर का नाम ***"श्रम अधिकार दिवस"*** होगा ।

उक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन ***01 जुलाई, 2018 से 15 अगस्त, 2018*** के मध्य निश्चित रूप से कर ली जाय।

यदि आवंटित राशि में अगर बचत होती है तो संबंधित उप श्रमायुक्त से आदेश प्राप्त कर उस राशि से सबसे पिछड़ी पंचायत/ Industrial Cluster जहाँ श्रमिक अधिक होते है वहाँ गाँव/पंचायत स्तर पर एक अतिरिक्त शिविर का आयोजन किया जाय।

उक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने वाले सभी संबंधित जिले के श्रम अधीक्षक संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करके शिविर आयोजन हेतु तिथि का निर्धारण करेगें, तथा शिविर आयोजन के दिन उनसे स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि को उक्त आयोजित शिविर में भाग लेने हेतु, अनुरोध करेगें।

CFMS Order No.- 1691 एवं 1695 both dated- 19-06-18 से विपत्र कोड-26-2230011030101 एवं 26-2230017890101 दोनों उपशीर्षो के तहत Object Head 20-02-conference, workshop, Seminar से सभी 37 जिलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को क्रमशः आवंटित ₹ 10,000/- एवं ₹ 4,000/- तथा उप श्रमायुक्त पटना को क्रमशः आवंटित ₹ 75,500/- एवं ₹ 6,500/- श्रम कल्याण दिवस के अवसर पर (दिनांक 17.9.2018 को) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सेमिनार, सिमपोजियम आदि का आयोजन जिला के मुख्यालय स्तर पर करने हेतु आवंटित की गयी है।

सभी आवंटनादेश वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, पत्रांक-3244/वि० दिनांक-04.05.2018 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

ह०/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक-*6/एफ1-306/2018* श्र0सं0- 4559 पटना, दिनांक- 20-6-18

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/बजट पदाधिकारी, वित विभाग/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय विकास भवन, कोषागार/ कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, कोषागार/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

19/06/18
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार ।